भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 683

उत्तर देने की तारीख : 03.02.2026

हाशिए पर पड़े समुदायों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति

683. **श्री गोडम नागेश:**
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री बलभद्र माझी
श्री दिलीप शइकीया:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री नलिन सोरेन :
श्रीमती लवली आनंद:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) का ब्यौरा क्या है, उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान पीएम-दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल युक्त बनाए गए युवाओं की संख्या कितनी है और रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की दिल्ली सहित राज्यवार संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर ओडिशा और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) और लक्षित क्षेत्रों में उच्च

विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (श्रेष्ठ) के हाशिए पर पड़े समुदायों के शैक्षिक परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है,

(ग) यदि हां, तो दिसंबर 2025 तक ओडिशा और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित लाभार्थियों के डेटा कवरेज और परिणामों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का विशेषकर नबरंगपुर जैसे जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में और ओडिशा सहित राज्यवार आकलन किया है कि प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) और उद्यमिता तथा पुनर्वास स्कीमों के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों को बाजार मांग के साथ कितना संबद्ध किया है जिसने अल्पकालिक राहत प्रदान करने के बजाए हाशिए पर जीवन-यापन करने वाले और वंचित समुदायों को रोजगार प्रदान किया है और उनकी आय में वृद्धि की और स्थायी आजीविका प्रदान की है,

(ङ) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन, जिनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम-दक्ष योजना के तहत लाभार्थियों के प्रशिक्षणोत्तर नियोजन, स्वरोजगार और आय स्तरों से संबंधित आंकड़े शामिल हैं, के दिल्ली सहित राज्यवार मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) क्या लाभार्थियों की रोजगार स्थिरता, आय वृद्धि और सामाजिक गतिशीलता जैसे दीर्घकालिक परिणामों के संबंध में कोई सांख्यिकीय निगरानी या मूल्यांकन मौजूद है और यदि हां, तो ऐसे निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिला सहित राज्यवार और जिलावार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) योजना पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, ईडब्ल्यूएस, डीएनटी, कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पीएम-दक्ष योजना के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/डीएनटी लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के संबंध में योजना के तहत प्रशिक्षित और नियोजित

उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है। 2024-25 और उससे आगे के लिए, पीएम-दक्ष योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है।

(ख): जी, हां। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) की मूल्यांकन रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच बेहतर शैक्षिक प्रतिधारण, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, शैक्षिक आकांक्षाओं में वृद्धि और अनुसूचित जाति के छात्रों में जाति और लिंग के अंतर में कमी को दर्शाया गया है। ओडिशा में, ढेंकानल और खोरधा जैसे जिलों ने विशेष रूप से श्रेष्ठ के मोड-II के तहत उच्च नामांकन, बेहतर प्रतिधारण और लगातार उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत दिखाया है, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, पीएम-अजय के छात्रावास घटक [पूर्ववर्ती बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)] तक पहुंच के कारण उच्च माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षा में विशेष रूप से बालिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, उनके शिक्षा के लिए लंबी यात्रा या असुरक्षित यात्रा करने के मुद्दों का समाधान हुआ है।

(ग): श्रेष्ठ के तृतीय पक्ष मूल्यांकन में देश के छह भौगोलिक क्षेत्रों के 41 जिलों को कवर किया गया। इसका विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है। दिसंबर 2025 तक, इस मूल्यांकन में 2023-24 के दौरान देश भर में 15,816 लाभार्थियों की सूचना दी गई है, जिनमें से 4,135 छात्र (26%) मोड-I के तहत और 11,681 छात्र (74%) मोड-II के तहत कवर किए गए थे। मूल्यांकन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार परिणाम उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वर्ष 2007-08 से पीएम-अजय के छात्रावास घटक के अंतर्गत 74,749 लाभार्थियों के लिए कुल 911 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं (ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है)। उनमें से ओडिशा में 14,634 लाभार्थियों के लिए 177 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है। नबरंगपुर लोकसभा क्षेत्र के कोरापुट जिले में 500 लाभार्थियों के लिए कुल 5 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और नबरंगपुर लोकसभा क्षेत्र के मलकानगिरी जिले में 500 लाभार्थियों के लिए कुल 5 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ड.): पीएम-दक्ष योजना के तहत, प्रशिक्षण संस्थानों को अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार (मजदूरी और/या स्वरोजगार) प्रदान करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर, तीसरी किस्त अर्थात प्रशिक्षण लागत का 30% जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता के लिए संबंधित उद्योगों के साथ सहयोग बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। इस विभाग

के अंतर्गत तीन निगम एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद रोजगार और उद्यमिता के लिए परियोजना तैयारी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को स्थापित करने में लक्षित समूह के पात्र युवाओं को ऋण सुविधाएं और सहायता प्रदान करते हैं। इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाए गए उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई है।

(च): जी, हां। पीएम-दक्ष योजना का मूल्यांकन अध्ययन मजबूत प्रासंगिकता और सीखने की प्रभावशीलता को दर्शाता है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण को करियर लक्ष्यों, स्थानीय श्रम बाजार की जरूरतों और अभीष्ट लर्निंग परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बताया है। मूल्यांकन के परिणाम विशेष रूप से महिलाओं और लाभवंचित समूहों के बीच सशक्त गैर-भौतिक लाभों जैसे बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और सामाजिक मान्यता को दर्शाते हैं। संधारणीयता के परिणाम बहुत हद तक सकारात्मक हैं, अधिकांश लाभार्थियों ने आय में दीर्घकालिक वृद्धि की संभावना मानते हुए अर्जित कौशल का उपयोग करना जारी रखा है, विकास में पुनर्निवेश किया है और स्वतंत्र रूप से इस सुधार को बनाए रखने में सक्षम महसूस करते हैं। इस मूल्यांकन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार परिणाम उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

श्रेष्ठ के संबंध में, तृतीय पक्ष के मूल्यांकन ने शैक्षिक निरंतरता, सीखने के बेहतर माहौल और उच्च शिक्षा के लिए बढ़ी हुई आकांक्षाओं जैसे मध्यवर्ती परिणामों का आकलन किया है।

श्री गोडम नागेश, श्री योगेन्द्र चांदोलिया, श्री बिभु प्रसाद तराई, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा, श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, डॉ. हेमांग जोशी, श्री बलभद्र माझी, श्री दिलीप शइकीया, श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही, श्री नलिन सोरेन, श्रीमती लवली आनंद, श्री लुम्बाराम चौधरी, श्रीमती स्मिता उदय वाघ और श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 683 जिसका उत्तर दिनांक 03.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-I:

राज्यवार विवरण- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम						
वर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
आंध्र प्रदेश	675	555	429	337	190	40
असम	250	171	633	437	1198	637
बिहार	1187	897	424	204	841	57
चंडीगढ़	0	0	110	78	0	0
छत्तीसगढ़	243	181	75	57	153	0
दिल्ली	111	60	191	148	143	42
गोवा	0	0	100	70	0	0
गुजरात	514	404	170	149	266	76
हरियाणा	545	409	315	235	669	232
हिमाचल प्रदेश	210	142	359	235	300	189
जम्मू-कश्मीर	270	211	527	352	180	42
झारखंड	300	161	230	169	373	30
कर्नाटक	843	639	350	272	925	49
केरल	313	247	90	66	25	25
लद्दाख	0	0	0	0	30	0
मध्य प्रदेश	1247	1009	1605	1158	6231	2210
महाराष्ट्र	753	531	417	311	3773	1807
मणिपुर	109	73	143	92	0	0
ओडिशा	555	410	90	70	385	0
पुडुचेरी	17	13	0	0	30	0
पंजाब	1124	885	1189	907	1038	327
पंजाब	798	597	495	380	2989	438
तमिलनाडु	505	398	235	177	1415	469

तेलंगाना	279	145	60	51	510	303
त्रिपुरा	90	63	80	64	202	16
उत्तर प्रदेश	3749	2655	947	667	8144	1897
उत्तराखंड	309	206	187	113	570	164
पश्चिम बंगाल	1399	1021	923	640	80	60
कुल योग	**16,395**	**12,083**	**10,374**	**7,439**	**30,660**	**9,110**

राज्यवार विवरण- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
आंध्र प्रदेश	653	422	690	85	120	22
असम	1332	1013	724	490	1896	232
बिहार	1399	848	1400	543	882	536
छत्तीसगढ़	390	279	324	237	440	23
दिल्ली	179	132	136	100	55	30
गोवा	0		25	16	0	0
गुजरात	854	618	450	297	295	58
हरियाणा	419	267	427	257	740	434
हिमाचल प्रदेश	120	93	380	241	360	268
जम्मू-कश्मीर	495	366	446	260	770	445
झारखंड	515	362	531	340	415	285
लद्दाख	50	21	0	0	30	27
कर्नाटक	508	361	260	219	959	123
केरल	546	269	263	165	85	77
मध्य प्रदेश	1115	854	1289	953	7815	2547
महाराष्ट्र	1117	736	364	247	5029	3009
मणिपुर	407	309	200	122	0	0
मेघालय	30	23	140	100	0	0
ओडिशा	413	262	610	507	549	150
पांडिचेरी	34	19	0	0	0	0
पंजाब	471	326	480	251	839	369
राजस्थान	1129	814	799	483	3456	772
सिक्किम	155	132	25	18	25	25
तमिलनाडु	632	474	347	276	615	515
तेलंगाना	441	264	130	46	410	244
त्रिपुरा	419	310	210	157	285	22

उत्तर प्रदेश	3109	2325	2177	1383	10730	2589
उत्तराखंड	180	132	325	198	497	172
पश्चिम बंगाल	1044	482	223	166	110	107
कुल	**18,156**	**12,513**	**13,375**	**8,157**	**37,407**	**13,081**

राज्यवार विवरण- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
आंध्र प्रदेश	839		850		15	0
असम	488	101		0	539	114
बिहार	446	97	216		390	0
छत्तीसगढ़	377	115	242			0
दिल्ली	47			0		0
गुजरात	415		290		62	24
हरियाणा		0	728		479	317
हिमाचल प्रदेश	568			0	225	168
जम्मू-कश्मीर	0	0	319		90	77
झारखंड	426	297	29		320	22
कर्नाटक		0	180	134	210	0
केरल		0		0	88	72
मध्य प्रदेश	898	167	1328	155	3146	889
महाराष्ट्र	93	26	480	71	1244	125
ओडिशा	49	42	604	275	298	55
पंजाब	782	295	1215	123	245	133
राजस्थान		0	89	56	1489	392
तमिलनाडु		0	429		110	27
तेलंगाना		0	676	145	135	0
त्रिपुरा		0	180	111		0
उत्तर प्रदेश	929	647	1043	762	2430	236
उत्तराखंड	190	93		0	180	0
पश्चिम बंगाल	904	94	374	163	423	51
कुल	**7,451**	**1,974**	**9,272**	**1,995**	**12,118**	**2,702**

श्री गोडम नागेश, श्री योगेन्द्र चांदोलिया, श्री बिभु प्रसाद तराई, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा, श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, डॉ. हेमांग जोशी, श्री बलभद्र माझी, श्री दिलीप शइकीया, श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही, श्री नलिन सोरेन, श्रीमती लवली आनंद, श्री लुम्बाराम चौधरी, श्रीमती स्मिता उदय वाघ और श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 683 जिसका उत्तर दिनांक 03.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-II:

श्रेष्ठ के तहत चयनित लाभार्थियों का जिलेवार वितरण:

राज्य	जिला	मोड	शहरी	ग्रामीण	कुल
आंध्र प्रदेश	गुंटूर	मोड–II	136	0	136
आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	मोड–I	72	0	72
बिहार	पटना	मोड –I	18	0	18
छत्तीसगढ़	रायगढ़	मोड –I	45	0	45
तेलंगाना	वारंगल	मोड –II	0	60	60
असम	कामरूप	मोड –II	60	0	60
दिल्ली	उत्तर पूर्व	मोड –II	60	0	60
कर्नाटक	विजयपुरा	मोड –II	0	150	150
कर्नाटक	गुलबर्गा	मोड –II	100	0	100
मध्य प्रदेश	जबलपुर	मोड –II	66	0	66
मध्य प्रदेश	भोपाल	मोड –I	18	0	18
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	मोड –I	0	41	41
ओडिशा	ढेंकानल	मोड –II	0	311	311
ओडिशा	बेरहामपुर	मोड –I	25	0	25
ओडिशा	खोरदा	मोड –II	0	75	75
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	मोड –I	20	0	20
उत्तर प्रदेश	वाराणसी	मोड –I	40	0	40
उत्तर प्रदेश	हरदोई	मोड –II	195	0	195
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	मोड –I	96	0	96
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	मोड –II	68	0	68
उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	मोड –I	0	68	68
महाराष्ट्र	नांदेड़	मोड –II	36	0	36
महाराष्ट्र	हिंगोली	मोड –II	182	0	182
महाराष्ट्र	परभणी	मोड –II	0	366	366
महाराष्ट्र	उदगीर	मोड –II	80	0	80

केरल	कोल्लम	मोड -I	0	40	40
केरल	पलक्कड़	मोड -I	4	0	4
उत्तराखंड	देहरादून	मोड -I	0	25	25
पश्चिम बंगाल	हुगली	मोड -II	50	0	50
पश्चिम बंगाल	हावड़ा	मोड -II	60	0	60
हरियाणा	महेंद्रगढ़	मोड -I	55	0	55
हिमाचल प्रदेश	चंबा	मोड -I	25	0	25
झारखंड	पलामू	मोड -I	0	12	12
पंजाब	मोहाली	मोड -I	19	0	19
राजस्थान	झुंझुनू	मोड -I	149	0	149
राजस्थान	श्रीगंगानगर	मोड -II	193	0	193
राजस्थान	सीकर	मोड -I	7	0	7
राजस्थान	दौसा	मोड-II	0	112	112
तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	मोड-I	0	30	30
तमिलनाडु	मदुरै	मोड-II	0	20	20
तमिलनाडु	तिरुवन्नामलाई	मोड-II	26	0	26
तमिलनाडु	तिरुक्कोयिलुर	मोड-II	0	25	25

श्री गोडम नागेश, श्री योगेन्द्र चांदोलिया, श्री बिभु प्रसाद तराई, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा, श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, डॉ. हेमांग जोशी, श्री बलभद्र माझी, श्री दिलीप शइकीया, श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही, श्री नलिन सोरेन, श्रीमती लवली आनंद, श्री लुम्बाराम चौधरी, श्रीमती स्मिता उदय वाघ और श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 683 जिसका उत्तर दिनांक 03.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-III:

पीएम-अजय योजना के तहत 2007-08 से अब तक 911 छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है। पीएम-अजय योजना के तहत स्वीकृत राज्यवार छात्रावास और उनकी पूर्णता की स्थिति (2007-08 से 2024-25 तक) का विवरण:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या	पूर्ण छात्रावासों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	33	5	3265
2	असम	44	36	2924
3	बिहार*	19	16	1890
4	छत्तीसगढ़	48	46	2420
5	गुजरात	17	17	3270
6	हरियाणा	17	14	1860
7	हिमाचल प्रदेश*	9	7	1125
8	जम्मू-कश्मीर	5	4	400
9	झारखंड	21	16	1450
10	कर्नाटक	45	35	3136
11	केरल	9	9	730
12	मध्य प्रदेश	87	77	6650
13	महाराष्ट्र*	59	55	5273
14	मणिपुर	24	16	2155
15	मिजोरम	3	0	450
16	नागालैंड	9	0	1350
17	ओडिशा*	177	169	14834
18	पुडुचेरी	4	2	500
19	पंजाब	15	15	1226
20	राजस्थान	105	101	4475

21	सिक्किम	6	4	600
22	तमिलनाडु	50	47	4641
23	तेलंगाना	11	4	1500
24	त्रिपुरा	8	5	520
25	उत्तर प्रदेश	32	24	2734
26	उत्तराखंड*	6	2	350
27	पश्चिम बंगाल	48	48	5021
	कुल	911	774	**74749**

*आंध्र प्रदेश में 3 छात्रावास, बिहार में 3 छात्रावास, हिमाचल प्रदेश में 2 छात्रावास, ओडिशा में 2 छात्रावास, उत्तराखंड में 1 छात्रावास और महाराष्ट्र में 4 छात्रावास रद्द कर दिए गए हैं और उनकी राशि डीडी के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वापस कर दी गई है।
